भारत सरकार
Government of India
परमाणु ऊर्जा विभाग
Department of Atomic Energy
निर्माण, सेवा एवं संपदा प्रबंध निदेशालय
Directorate of Construction, Services &Estate Management
प्रवर्तन अनुभाग Enforcement Section

वि.सा.भवन V.S. Bhavan,
दूसरी मंजिल, उत्तर विंग 2nd Floor, North Wing,
अणुशक्तिनगर Anushaktinagar,
मुंबई Mumbai 400 094.
दूरभाष Telephone :64197245
ई-मेल E-mail: enforce@dcsem.gov.in

सं.निसेसंप्रनि/प्रवर्तन/ई-2101/2026 / 2705
Ref:DCSEM/Enft/e-2101/2026 / 2705

03.09.2026

परिपत्र CIRCULAR

विषय: अणुशक्तिनगर के डॉग फीडर और पालतू पशुओं के मालिकों के लिए दिशानिर्देश - के संबंध में।
Sub: Guidelines for dog feeders and pet animal owners in Anushaktinagar - reg.

हाल ही में, इस निदेशालय को निवासियों से अनेक शिकायतें तथा बीएमसी अधिकारियों से टिप्पणियाँ प्राप्त हो रही हैं, जिनमें यह बताया गया है कि आवारा पशुओं को भोजन कराने वाले व्यक्ति फीडिंग प्वाइंट की सफाई नहीं कर रहे हैं तथा बचा हुआ भोजन चूहों एवं कीडे-मकौडों को आकर्षित कर रहा है, जिसके कारण फीडिंग प्वाइंट के आसपास अस्वच्छ परिस्थितियाँ उत्पन्न हो रही हैं।

Recently, this Directorate has been receiving number of complaints from residents as well as observations from BMC officials stating that the feeders of stray animals are not cleaning the feeding point and left over food is attracting rodent and insects which is causing unhygienic conditions in and around the feeding points.

2. इस संबंध में, इस निदेशालय द्वारा समय-समय पर जारी किए गए विभिन्न परिपत्रों की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है, जिनमें पुनः यह स्पष्ट किया गया है कि फीडरों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि फीडिंग स्थल साफ-सुथरे, स्वच्छ एवं कूड़ा-कचरा मुक्त रहें। आवारा पशुओं के लिए स्वच्छ फीडिंग प्वाइंट बनाए रखने से जनस्वास्थ्य संबंधी समस्याओं की रोकथाम होती है, कीडे-मकौडों एवं अन्य जीव-जंतुओं को दूर रखने में सहायता मिलती है तथा पड़ोसियों के साथ शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व सुनिश्चित होता है। फीडरों को भोजन कराने के समय स्थल पर उपस्थित रहना चाहिए तथा बचा हुआ भोजन एवं कूड़ा-कचरा तुरंत साफ कर देना चाहिए। इसके अलावा, कटोरे या बर्तनों का उपयोग करके भोजन के फैलाव को कम किया जा सकता है, जिन्हें नियमित रूप से धोकर साफ किया जाना चाहिए। साथ ही, सामुदायिक पशु फीडरों/देखभालकर्ताओं के लिए बीएमसी द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, उन्हें बेहतर तरीके से सामुदायिक पशुओं की सेवा करने के लिए भारतीय पशु कल्याण बोर्ड के साथ कॉलोनी में जानवरों की देखभाल करने वाले के रूप में अपना पंजीकरण कराने की सलाह दी जाती है।

In this regard, attention is drawn to various circulars issued by this Directorate from time to time, reiterating that feeders must ensure feeding locations remain neat, clean, and free of litter. Maintaining clean feeding points for stray animals prevents public health issues, deters pests, and ensures peaceful coexistence with neighbors. Feeders must

remain present during feeding sessions and immediately clear away any leftover food and litter. Furthermore, food spillage can be reduced by using bowls or pots, which must be washed and cleaned regularly. In addition, in accordance with BMC circular regarding guidelines for community animal feeders/caregivers, they are advised to register themselves with Animal Welfare Board of India as 'Colony Animal Care Taker' to serve better to the community animals.

3. सभी आवारा पशु फीडरों को एक बार पुनः सूचित किया जाता है कि वे उपर्युक्त दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन करें तथा यह सुनिश्चित करें कि इस निदेशालय एवं एमसीजीएम द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का किसी भी प्रकार से उल्लंघन न हो।

All stray animal feeders are once again intimated to follow the above guidelines strictly and ensure that there is no violation of the guidelines issued by this Directorate as well as MCGM.

4. इसे सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।
This issues with the approval of the Competent Authority in this Directorate.

03.9.2026

(एस.एस. गोंडाणे S.S. Gondane)
निदेशक (पी&ए) Director(P&A)

अणुशक्तिनगर के आबंटिती - सभी संबंधित अनुरक्षण यूनिटों द्वारा प्रदर्शित/ व्यापक प्रचार-प्रसार करने हेतु।
Allottees of Anushaktinagar – Through respective maintenance units and also for display/wide publicity.

प्रतिलिपि Copy To:

1. मुख्य सुरक्षा अधिकारी, अणुशक्तिनगर
 CSO, Anushaktinagar.
2. सभी रहिवासी कल्याण संघ (आरवा, मारवा, डब्ल्यूएसआरडब्ल्यूए)।
 All Resident Welfare Associations (ARWA, MRWA, WSRWA).
3. डॉ. पठान के.ए., महा प्रबंधक, पशु चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग, बीएमसी।
 Dr. Pathan K. A., General Manager, Veterinary Health Department, BMC.
4. श्री पी.एस. सालुंखे, प्रमुख, एच एंड सीएमएस, निसेसंप्रनि
 Shri P.S. Salunkhe, Head, H&CMS, DCSEM
5. श्री अजय कुमार, एसए/डी, एच एंड सीएमएस, निसेसंप्रनि
 Shri Ajay Kumar, SA/D, H&CMS, DCSEM.